

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2020—ज्येष्ठ 15, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मार्च 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के नियंत्रण हेतु प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित भा.प्र.से. अधिकारियों को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है :—

1. श्री प्रभात मलिक, भा.प्र.से. (2015), संचालक, संस्थागत वित्त तथा अतिरिक्त प्रभार चीफ ऑफिसिंग अधिकारी, चिप्स.
2. श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), उप सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, उप सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 मई 2020

क्रमांक एफ 7-20/2020/12(1).—इस विभाग समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 7-29/2020/12, दिनांक 26-02-2020 में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 2(1) (ख) सहपठित नियम 6(1)(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, तालिका-एक के कॉलम (2) में उल्लिखित खदान/खदान समूहों के खनन से संबंधित संक्रियाओं से कॉलम (3) एवं कॉलम (4) अनुसार उल्लिखित जिले के समस्त क्षेत्र को आगामी आदेश पर्यन्त “प्रभावित क्षेत्र” घोषित करता है एवं कॉलम (2) में उल्लिखित खनिपट्टा क्षेत्र से प्राप्त होने वाली न्यास निधि का वितरण कॉलम (4) अनुसार किया जायेगा.

तालिका-एक

क्र. (1)	खदान/खदान समूह (2)	प्रभावित जिले (3)	प्रतिशत (4)
1.	जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा अंतर्गत स्थित लौह अयस्क के खनिपट्टे.	1. दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 2. बस्तर 3. बीजापुर 4. सुकमा 5. नारायणपुर 6. कोण्डागांव 7. उत्तर बस्तर कांकेर	37% 20% 15% 10% 7% 7% 4%
2.	जिला बालोद के अंतर्गत स्थित लौह अयस्क के खनिपट्टे.	1. बालोद 2. राजनांदगांव 3. दुर्ग 4. धमतरी	50% 20% 20% 10%
3.	जिला कोरबा अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. कोरबा 2. जांजगीर-चांपा 3. बिलासपुर 4. जशपुर 5. मुंगेली 6. बेमेतरा 7. कबीरधाम 8. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	50% 20% 13% 5% 4% 3% 3% 2%
4.	जिला कोरिया अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. कोरिया 2. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	90% 10%
5.	जिला रायगढ़ अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. रायगढ़ 2. जशपुर 3. महासमुंद	70% 15% 15%
6.	जिला बलौदाबाजार अंतर्गत स्थित मुख्य खनिज चूनापत्थर के खनिपट्टे.	1. बलौदाबाजार 2. रायपुर	80% 20%

2. जिला सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर एवं गरियाबंद छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 6(1)(ग) के अनुसार उपरोक्त तालिका में उल्लेखित खदान व खदान समूह के अतिरिक्त अन्य खनिजों की खदान एवं खदान के समूह की खनन एवं खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र संबंधित जिले हैं.
3. छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम-6(1)(ग) अनुसार सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर तथा गरियाबंद जिलों के खदान समूहों से अन्य जिले प्रभावित क्षेत्र में समाहित नहीं हैं, जिसके कारण उक्त जिलों के भीतर मुख्य खनिजों के खदान समूह के अतिरिक्त अन्य खनिजों की खदान एवं खदान के समूह की खनन एवं खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र संबंधित जिले हैं, जिसके संबंध में प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के प्राधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को है.
4. छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम-1(ख) अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से “प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति” जिले के भीतर खदान अथवा खदानों के समूह से खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति, जैसा कि कलेक्टर के द्वारा अधिसूचित हो और खदान अथवा खदानों के समूह से खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से जिले के बाहर प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित हो.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 मई 2020

क्रमांक एफ 7-20/2020/12.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 9ख, सहपठित छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका-एक के कालम-(2) में उल्लिखित जिला के सामने उक्त तालिका के तत्स्थानी कालम-(3) में उल्लिखित जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन करती है, अर्थात् :—

तालिका-एक

क्र. (1)	जिला (2)	जिला खनिज संस्थान न्यास का नाम (3)
1.	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला खनिज संस्थान न्यास
2.	छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम-10 के अनुसार तालिका-एक के कॉलम (3) में उल्लिखित जिला खनिज संस्थान न्यासों में निम्नलिखित न्यासियों की नियुक्ति करती है, अर्थात् :—	

तालिका-दो

क्र. (1)	न्यासी के पद के नाम/विवरण (2)	न्यास में पदनाम (3)
1.	संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री	पदेन अध्यक्ष
1क.	संबंधित जिले के कलेक्टर	पदेन सदस्य सचिव
1ख.	संबंधित जिले के समस्त विधानसभा सदस्य	पदेन सदस्य
2.	तीन जनप्रतिनिधि (व्यवस्थापक द्वारा नामांकित)	सदस्य
3.	जिले के खनिज रियायतधारियों में से मात्र तीन प्रतिनिधि (जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
4.	प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के कोई दो सरपंच (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
4क.	प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभा के 10 सदस्य (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
	(क) प्रत्येक ग्राम सभा से एक महिला सहित कुल दो सदस्य का ही नामांकन किया जायेगा.	

(1)	(2)	(3)
	(ख) खनन क्षेत्र की ग्राम सभा के सदस्यों के अतिरिक्त, समीपस्थ ग्राम सभा के सदस्यों को नामांकन में प्राथमिकता दी जायेगी.	
	(ग) प्रभावित क्षेत्र नगरीय क्षेत्र होने की स्थिति में, स्थानीय नगरीय निकाय के दो सदस्यों का नामांकन किया जायेगा.	
	(घ) अनुसूचित क्षेत्र की दशा में, प्रत्येक न्यास के लिए ग्राम सभा के कुल नामांकित सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों को अनुसूचित जनजाति से नामांकित किये जायेंगे.”	
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	*पदेन सदस्य
6.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
7.	वन मंडलाधिकारी	पदेन सदस्य
8.	उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी	पदेन सदस्य
9.	उप संचालक पंचायत	पदेन सदस्य
10.	अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड.	पदेन सदस्य
11.	जिला शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
12.	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	पदेन सदस्य
13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
14.	उप संचालक कृषि	पदेन सदस्य
15.	उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी	पदेन सदस्य
16.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
17.	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	पदेन सदस्य
18.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
19.	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य
20.	जिला रोजगार अधिकारी	पदेन सदस्य
21.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	पदेन सदस्य
22.	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	पदेन सदस्य
23.	उप संचालक, समाज कल्याण	पदेन सदस्य
24.	कार्यपालन अभियंता, क्रेडा	पदेन सदस्य
25.	जिले के समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी	पदेन सदस्य

3. छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम-2(1) (ठ) सहपठित नियम-14 के अनुसार तालिका-एक के कॉलम (3) में उल्लिखित जिला खनिज संस्थान न्यासों के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति गठित करती है, अर्थात :-

तालिका-तीन

स. क्र. (1)	पद के नाम (2)	न्यास में पदनाम (3)
1.	संबंधित जिले के कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	पदेन सदस्य सचिव
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
4.	वन मण्डलाधिकारी	पदेन सदस्य
5.	उप संचालक, पंचायत	पदेन सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड.	पदेन सदस्य

(1)	(2)	(3)
8.	उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी	पदेन सदस्य
9.	उप संचालक कृषि/उद्यानिकी	पदेन सदस्य
10.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
11.	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य
12.	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	पदेन सदस्य
13.	जिला शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
14.	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	पदेन सदस्य
15.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
16.	जिला रोजगार अधिकारी	पदेन सदस्य
17.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	पदेन सदस्य
18.	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	पदेन सदस्य
19.	उप संचालक, समाज कल्याण	पदेन सदस्य
20.	कार्यपालन अभियंता, क्रेडा	पदेन सदस्य
21.	जिले के समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी	पदेन सदस्य

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 मई 2020

क्रमांक एफ 7-20/2020/12.—छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम-2(1)(ख) सहपठित नियम-6(1)(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, तालिका-एक के कॉलम (2) में उल्लिखित खदान/खदान समूहों के खनन से संबंधित संक्रियाओं से कॉलम (3) में उल्लिखित जिले के समस्त क्षेत्र को आगामी आदेश पर्यन्त “प्रभावित क्षेत्र” घोषित करता है।

तालिका-चार

क्र. (1)	खदान/खदान समूह (2)	प्रभावित जिले (3)
1.	जिला कोरबा अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. कोरबा 2. जांजगीर-चांपा 3. बिलासपुर 4. जशपुर 5. मुंगेली 6. बेमेतरा 7. कबीरधाम 8. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
2.	जिला कोरिया अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. कोरिया 2. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

2. छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम-6(1) (ग) के अनुसार उपरोक्त पैरा-1 में उल्लेखित खदान व खदान समूह के अतिरिक्त अन्य खनिजों की खदान एवं खदान के समूह की खनन एवं खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र संबंधित जिले के भीतर होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 7-31/2018/32.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 05-10-2018 द्वारा अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण योजना 2033 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण योजना 2033 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (वर्गफीट में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क (1) एवं (2) के तहत उपांतरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सरकण्डा प.ह.नं. 11/15	1117, 1118, 1119, 1120 एवं 1122	2512.50 वर्गफीट	मिश्रित उपयोग, वाणिज्यिक एवं मार्ग 12 मीटर	मार्ग 9 मीटर

- उक्त उपांतरण अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विकास योजना 2033 हेतु है।
- सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
- अतः राज्य शासन एतद्वारा अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण योजना 2033 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण योजना 2033 का अंगीकृत भाग होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोण्डो, अपर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 मार्च 2020

क्रमांक एफ-1-50/2013/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री अरूण देव गौतम, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह एवं जेल विभाग को दिनांक 23-03-2020 से 28-03-2020 (कुल 06 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक 20, 21, 22 एवं 29 मार्च 2020 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

- अवकाश से लौटने पर श्री अरूण देव गौतम, (भापुसे), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह एवं जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
- अवकाश काल में श्री गौतम (भापुसे) को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे।
- प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गौतम (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 मार्च 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	गोढ़ी	4.345	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तलाईपाली.	एन.टी.पी.सी. रेल लाईन हेतु भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 मार्च 2020

क्रमांक 35/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-लोईग
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.592 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
79/5	0.089
39/1	0.207
40/2	0.008

(1)	(2)	रायगढ़, दिनांक 5 मार्च 2020	
34/1	0.097	क्रमांक 36/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— अनुसूची (1) भूमि का वर्णन— (क) जिला-रायगढ़ (ख) तहसील-रायगढ़ (ग) नगर/ग्राम-जुर्डा (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.864 हेक्टेयर	
35/1	0.086		
38	0.202		
68/5	0.175		
70/2	0.065		
62/16	0.067		
62/8	0.016		
62/13	0.045		
62/15	0.024		
62/29	0.008		
32/13	0.036		
32/12	0.016		
62/17	0.040		
62/10	0.048		
62/7	0.096		
11/5	0.034		
11/13	0.024		
32/32	0.022	खसरा नम्बर	रकबा
32/55	0.045		(हेक्टेयर में)
32/33	0.042	(1)	(2)
40/1	0.081		
32/23	0.056	64/2	0.122
32/23	0.040	68/4	0.032
11/6	0.073	78/10	0.061
11/15	0.070	78/4	0.081
32/27	0.030	59/2	0.012
36/2	0.068	60/1	0.250
36/4	0.034	59/1	0.045
68/4	0.150	59/3	0.020
68/8	0.162	64/3	0.202
32/24	0.033	58/4	0.033
32/56	0.067	64/5	0.328
9/2	0.089	343/9	0.020
60/1	0.020	78/1	0.070
66/2	0.091	78/7	0.219
71/1	0.028	69/12	0.049
70/3	0.008	17/7	0.223
		64/1	0.089
		64/7	0.397
		64/8	0.121
		63/2	0.081
		62	0.049
		24/2	0.053
		61/1	0.040
		17/4	0.728
		61/4	0.117
योग	40	2.592	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईस परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.			

(1)	(2)	रायगढ़, दिनांक 5 मार्च 2020	
63/5	0.190	क्रमांक 37/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— अनुसूची (1) भूमि का वर्णन— (क) जिला-रायगढ़ (ख) तहसील-रायगढ़ (ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी (पूर्व) (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.861 हेक्टेयर	
61/2	0.032		
103/2	0.058		
69/5	0.020		
68/1	0.035		
69/13	0.065		
69/14	0.065		
69/15	0.020		
69/16	0.020		
69/17	0.020		
69/18	0.020		
69/20	0.053		
69/21	0.049		
69/22	0.049		
69/23	0.049		
68/5	0.081	खसरा नम्बर	रकबा
68/6	0.081		(हेक्टेयर में)
17/3	0.748	(1)	(2)
17/6	0.291		
51/1	0.098	121/1	0.121
58/1	0.045	123/1	0.065
58/3	0.053	176/1	0.085
25/1	0.020	124/3	0.202
58/2	0.057	134/3	0.012
566/3	0.040	128/3	0.057
23/1	0.010	129/1	0.016
24/1	0.081	134/11	0.162
57/1	0.024	177/3	0.004
31/22	0.020	178/1	0.121
82/2	0.004	130/2	0.016
29/1च	0.008	134/1	0.024
55	0.008	134/6	0.051
565/3	0.008	134/14	0.051
		134/10	0.073
		166	0.016
		164/1	0.020
		165/1	0.036
		165/3	0.057
		165/2	0.040
		165/8	0.106
		165/4	0.040
		165/5	0.053
		166	0.016
		182/1	0.081
योग	58	5.864	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईस परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.			

(1)	(2)	(1)	(2)
184/1	0.057	299	0.045
185/7	0.085	771/1	0.037
185/8	0.012	776/2क	0.040
185/9	0.142	208/3	0.728
177/1	0.040	885/7	0.045
		800/1	0.105
योग	30	230/2	0.008
	1.861	769	0.077
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईस परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.		292/4	0.033
		771/3	0.020
		234/2	0.028
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		294/1	0.045
		785/1	0.129
		885/6	0.044
		733/3	0.028
		235/1	0.045
रायगढ़, दिनांक 5 मार्च 2020		235/5	0.036
		207	0.008
क्रमांक 38/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		314/1	0.101
		231/2	0.024
		232/2	0.049
		235/2	0.081
		304/6	0.138
		310/2	0.040
		768/2क, 776/1ख	0.166
		235/6	0.032
		765/1	0.450
		884	0.008
		234/3	0.024
		200/1	0.081
		767/2	0.121
(1) भूमि का वर्णन—		292/1क	0.065
(क) जिला-रायगढ़		771/2	0.046
(ख) तहसील-पुसौर		765/3	0.113
(ग) नगर/ग्राम-एकताल		885/1	0.113
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.359 हेक्टेयर		208/2	0.073
खसरा नम्बर	रकबा	232/1	0.024
	(हेक्टेयर में)	786/1	0.028
(1)	(2)	287/7	0.041
		231/3	0.028
475/1ग	0.065	902/3	0.047
287/8	0.028	297/2	0.062
770	0.081	765/5	0.020
219/4ख	0.162	781/1/1, 781/2/1	0.142
759/1	0.129	300/2	0.073
234/4	0.049	768/3, 774/3ग, 775/3, 776/4	0.049
270/2	0.085		

(1)	(2)	(1)	(2)
765/6	0.020	45/9	0.146
		45/11	0.081
योग	54	15/11	0.174
	4.359	15/6	0.061
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईस परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु.		15/10	0.146
		15/7	0.081
		8/5	0.154
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		8/1	0.016
		3/1	0.162
		2/1/क	0.028
रायगढ़, दिनांक 5 मार्च 2020		2/1/घ	0.010
		2/1/ग/1	0.049
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 63/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		180/11	0.040
		180/39	0.010
		153/3	0.033
		154/9	0.458
		154/7	0.036
		154/5	0.016
		49/4ख	0.006
		152/7	0.020
		241/15	0.081
		152/10	0.016
		241/2	0.032
अनुसूची		241/3क/1	0.024
(1) भूमि का वर्णन-		241/5क/1	0.016
(क) जिला-रायगढ़		241/5ख/1	0.016
(ख) तहसील-रायगढ़		239/2	0.032
(ग) नगर/ग्राम-रेगड़ा		योग	41
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.928 हेक्टेयर			2.928
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.	
(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.	
50/2	0.021	रायगढ़, दिनांक 5 मार्च 2020	
51/4	0.016	भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 66/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
171/1	0.020		
50/1	0.024		
51/3	0.110		
51/2क	0.112		
51/11ख	0.035		
51/6	0.010		
239/3	0.016		
46/1	0.134		
52/1	0.314		
49/4क	0.047		
47/1	0.040		
45/5	0.085		

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		158	0.181
(क) जिला-रायगढ़		160/6	0.085
(ख) तहसील-रायगढ़		160/5	0.165
(ग) नगर/ग्राम-टारपाली		160/4	0.165
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.246 हेक्टेयर		160/3	0.175
		160/1	0.017
खसरा नम्बर	रकबा	167/3	0.036
	(हेक्टेयर में)	167/2	0.041
(1)	(2)	168/1	0.039
		168/2	0.034
608/1	0.020	168/3	0.008
610/4	0.020	170	0.101
617/1	0.086	171/1	0.049
617/2	0.032	198/5	0.027
619/1	0.020	171/2	0.124
628/1	0.040	198/4	0.027
514/7	0.032	171/3	0.089
633/1	0.020	172	0.105
506/1	0.020	173/2	0.073
83/1	0.101	174	0.145
82/1	0.020		
200/1	0.022	योग	57 4.246
81/1	0.149		
81/2	0.012		
28/1	0.004		
31/1	0.020		
31/2	0.032		
35/1	0.020		
30/1	0.044		
24/2	0.019		
6/1	0.026		
10/1	0.020		
10/2	0.020		
5/1	0.102		
10/4	0.020		
10/3	0.032		
169/1	0.572		
1/3	0.020		
78	0.004		
634/4	0.466		
514/5	0.076		
24/4	0.105		
127	0.113		
152/1	0.028		
152/2	0.028		
154	0.122		
173/1	0.073		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 13 फरवरी 2020

क्रमांक 1042/भू-अर्जन/अ-82/कले./बलरामपुर/2020.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
(ख) तहसील-वाड़फनगर
(ग) नगर/ग्राम-मानपुर, प.ह.नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.97 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.02
5	0.16
90	0.05
7	0.14
9	0.10
11	0.04
12	0.16
63	0.09
13	0.06
14	0.42
20	0.24
24	0.11
25	0.04
61	0.01
6	0.13
58	0.06
54	0.13
योग	1.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुक्झरिया जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड़फनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 13 फरवरी 2020

क्रमांक 1043/भू-अर्जन/अ-82/कले./बलरामपुर/2020.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
(ख) तहसील-वाड़फनगर
(ग) नगर/ग्राम-कोटराही, प.ह.नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.02 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1764	0.35
1815	0.63
1814	0.68
1821/1	0.76
1823	1.63
1824	0.39
1791	0.92
1804	0.02
1805	0.24
1809	0.30
1790/3	0.17
1808	0.33
1811	0.36
1790/1	0.16
1787	0.28
1792/2	0.42
1793	0.22
1795	0.38
1767	0.28
1763	0.34
1790/2	0.16
योग	21
	9.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटराही जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड़फनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 14 जनवरी 2020

क्रमांक 82/नगानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-रघुनाथपुर/2020.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अम्बिकापुर (छ.ग.) द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट रघुनाथपुर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

अनुसूची

रघुनाथपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम सुमेरपुर उर्फ (चेन्द्रा) एवं बटवाही ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
 पूर्व में : ग्राम बटवाही, सायरराई एवं लमगांव ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
 दक्षिण में : ग्राम लमगांव, सायरराई, रघुनाथपुर, दरीडीह एवं सुमेरपुर उर्फ (चेन्द्रा) ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
 पश्चिम में : ग्राम सुमेरपुर उर्फ (चेन्द्रा) ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा।

निरीक्षण स्थल : कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना रोजगार कार्यालय, रिंग रोड, नमनाकला, अम्बिकापुर (छ.ग.)

No. 82/नगानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-रघुनाथपुर/2020.—Notice is hereby given for general information of the public that the Existing Land use map and Register of Raghunathpur Planning Area, Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning, Ambikapur under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazett. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of Raghunathpur Planning Area

- NORTH : Village Sumerpur alias (Chendra) and upto the Northern Limit of Batwahi.
 EAST : Village Batwahi, Sayarra & upto the Eastern Limit of Lamgaon.
 SOUTH : Village Lamgaon, Sayarra, Raghunathpur, Darridih & upto the Southern Limit of Sumerpur alias (Chendra).
 WEST : Village upto the Western Limit of Sumerpur alias (Chendra).

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours, for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Old Employment Office, Ring Road, Namnakala, Ambikapur (C.G.).

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur the 13th February 2020

No. 139/Confdl./2020/I-8-2/2010 (Part-III).— The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby, given additional charge of the Labour Courts as mentioned in Column No. (3) having jurisdiction of the areas mentioned in Column No. (4), in addition to their own duties, until further orders :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & Presently posted as (2)	Additional Charge (3)	Jurisdiction of the Court (4)
1.	Shri Pravin Kumar Pradhan, I Additional District & Sessions Judge, Korba.	Labour Judge, Labour court, Korba.	Revenue District Korba
2.	Shri Gregory Tirkey, Additional District & Sessions Judge, Dhamtari.	Labour Judge, Labour Court, Dhamtari.	Revenue District Dhamtari and Uttar Bastar (Kanker).
3.	Dr. Manoj Kumar Prajapati, I Additional District & Sessions Judge, Mahasamund.	Labour Judge, Labour Court, Mahasamund.	Revenue District Mahasamund
4.	Shri Dilesh Kumar Yadav, II Additional District & Sessions Judge Manendragarh.	Labour Judge, Labour Court, Manendragarh.	Revenue District Koriya
5.	Shri Jagmohan Shankar Patel, II Additional District & Sessions Judge, Janjgir.	Labour Judge, Labour Court, Janjgir-Champa.	Revenue District Janjgir- Champa.

Bilaspur the 13th February 2020

No. 141/Confdl./2020/I-8-2/2010 (Part-III).— The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) having jurisdiction of the areas mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & Presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Jurisdiction of the Court (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Kiran Thawait, VII Additional District & Sessions Judge.	Ambikapur	Ambikapur	Revenue District Surguja, Balrampur and Surajpur.	Labour Judge, Labour Court.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Om Prakash Jaiswal, XIII Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Raipur	Revenue District Raipur, Raipur Municipal Council Area, Birgaon Municipal Council Area, and Dharsiva Block of Raipur.	Labour Judge, Labour Court No.-1. He is also assigned the additional charge of Labour Court No. 2, Raipur having jurisdiction over the rest of the Revenue District Raipur and Gariaband except the jurisdiction of Labour Court No.-1, Raipur.
3.	Shri Ganesh Ram Patel, Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Bilaspur	Revenue District Bilaspur and Mungeli.	Labour Judge, Labour Court.
4.	Shri Shrikant Shriwas, II Additional District & Sessions Judge.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Revenue District Rajnandgaon and Kabirdham.	Labour Judge, Labour Court.
5.	Shri Deepak Kumar Deshlhre, II Additional Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.	Durg	Durg	Revenue District Durg, Bemetara and Balod.	Labour Judge, Labour Court.
6.	Shri Shyam Sundar Kashyap, II Additional District & Sessions Judge.	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	Revenue District Baloda-Bazar- Bhatapara.	Labour Judge, Labour Court.

Bilaspur the 13th February 2020

No. 143/Confdl./2020/II-2-1/2020.— The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who is posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) is, henceforth, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Shri Vijay Kumar Minj	II Additional District & Sessions Judge, Kanker.	I Additional District & Sessions Judge, Kanker.

Bilaspur the 13th February 2020

No. 145/Confdl./2020/II-2-1/2020.— The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the Fast Track Special Courts established by the State Government vide Notification/Endt. No. 1106/406/XXI-B/C.G./20 dated 01-02-2020 in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sanjay Agrawal, Additional District and Sessions Judge (F.T.C.).	Bemetara	Bemetara	Bemetara	Additional District & Sessions Judge, Fast Track Special Court (exclusively for POCSO Act cases)
2.	Shri Prabodh Toppo, I Additional District & Sessions Judge.	Kanker	Mungeli	Mungeli	Additional District & Sessions Judge, Fast Track Special Court (exclusively for POCSO Act cases)

Bilaspur the 13th February 2020

No. 147/Confdl./2020/II-2-1/2020.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby, given additional charge of the Fast Track Court as mentioned in Column No. (3) until further orders ;—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Additional Charge (3)
1.	Smt. Mamta Patel, Additional District and Sessions Judge, Bemetara.	Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), Bemetara.

Bilaspur the 13th February 2020

No. 149/Confdl./2020/II-3-1/2020.—The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are appointed as Civil Judge Class-I-cum-Additional Chief Judicial Magistrate for the Revenue District

mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Yashoda Nag, Labour Judge, Labour court.	Durg	Durg	Durg	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Roopnarayan Pathare, Labour Judge, Labour Court.	Korba	Korba	Korba	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.

Note : The above officers are entitled to the pay-scale mentioned in Rule 3 (2)(b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 only after appraisal of the work and performance by the High Court.

Bilaspur the 13th February 2020

No. 151/Confdl./2020/II-3-1/2020.—The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vivek Garg, Labour Judge Labour Court.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon	II Civil Judge Class-I
2.	Smt. Ganga Patel, Labour Judge, Labour Court.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	III Civil Judge Class-I
3.	Shri Dular Singh, Labour Judge, Labour Court.	Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	II Civil Judge Class-I
4.	Shri Om Prakash Sahu, Labour Judge, Labour Court No. 1.	Raipur	Raipur	Raipur	IV Civil Judge, Class-I
5.	Smt. Shruti Dubey, Labour Judge, Labour Court.	Mahasamund	Mungeli	Mungeli	II Civil Judge, Class-I

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.